102

FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

15/-

न्यायालय : माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

अपील प्रकरण क्र0 तीन/07

A 386-III/07

1- बलीराम पुत्र नारायण सिंह यादव ग्राम - गुपालियर तहसील-मुंगावली, जिला - अशोकनगर (म0प्र0)

2- राजभान सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह निवासी ग्राम गवालियर तहसील मुंगावली जिला - गुना (म0प्र0)

3- भागीरथ पुत्र पूरन सिंह जाति आदिवासी धंधा खेती निवासी ग्राम - खाडखेड़ा, तहसील - मुंगावली, जिला-गुना म0प्र0

4- राजन पुत्र पूरन जाति आदिवासी

5- चम्पालाल पुत्र पूरन जाति आदिवासी

6- प्रेमसिंह पुत्र पूरन जाति आदिवासी

7- राजबाई पुत्री पूरन जाति आदिवासी धंधा खेती समस्त निवासी ग्राम - खाईखेड़ा, तहसील मुंगावली, जिला गुना (म0प्र0)

---- अपीलार्थीगण

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन --- प्रत्यर्थी

श्री के. के. द्विवेदी द्वारा आज दि० 27-2-07 प्रस्तुत

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

27-2-07 K.K. Dwivedi

न्यायालय : अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर अपील प्रकरण क्रमांक 276/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-06 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा-44 के अधीन अपील।

==========0==========

-------2

A-386-III/07

-1-

16-5-16

सदस्य (प्रशासनिक)

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 276/2005-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-06 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि कलेक्टर गुना के समक्ष आवेदन देकर अपीलांट बलीराम, राजभान सिंह ने निजी खाते की ग्राम खाईखेडा की भूमि सर्वे नंबर 56/1 क, ख रकबा 1.045 हैक्टर (नहर से सिंचित) में से रबा 0.868 हैक्टर भागीरथ एंव अन्य 5 सहभागीदार आदिवासियों की भूमि सर्वे नंबर 74/1 रकबा 0.868 हैक्टर से विनिमय किये जाने की मांग की। कलेक्टर गुना ने अपीलांट्स के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच एंव सुनवाई कर प्रकरण कमांक 31 अ 19/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 16-7-02 से विनिमय आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के

शाक्षेमुगवा-75-फॉर्म्स-17-6-2015-5,000.

XXXix(a)BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 386-तीन/2007 अपील जिला अशोकनगर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों/ अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 276/05-06 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-7-06 से अपील निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरूद्व यह द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई है।<br>3/ अपील मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को सुना जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।<br>4/ अपीलांट के अभिभाषक ने लेखी तर्क में बताया है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 167 के अनुसार चकबंदी के प्रयोजन के लिये अथवा खेती की अधिक सुविधा के लिये कृषक अपना संपूर्ण खाता अथवा किसी भाग का विनिमय पारस्परिक करार व्दारा कर सकेंगे, किन्तु विचाराधीन प्रकरण के अवलोकन से स्थिति भिन्न परिलक्षित है क्योंकि एक पक्ष के पास मात्र 0.868 हैक्टर भूमि है जबकि दूसरे पक्ष के पास 1.045 हैक्टर नहर से सिंचित भूमि है यदि इस विनियम को स्वीकार किया जाता है तब रकबा 1.045 हैक्टर भूमि दो हिस्सों में बट जावेगी एंव 0.868 हैक्टर विनिमय में चले जाने से एक टुकड़ा 0.177 हैक्टर दो भागों में विभक्त हो जावेगा, जबकि संहिता की धारा 167 का उद्वेश्य चकबंदी करने एंव एक खेत को सुविधा के लिये दूसरे खेत को मिलाने का है, जिसके कारण विनियम अलाभकारी एंव वास्तविक स्थिति पर आधारित न पाने के कारण कलेक्टर गुना व्दारा आदेश दिनांक 16-7-02 से अस्वीकार किया है और इन्हीं कारणों से विद्वान अपर आयुक्त ने कलेक्टर के आदेश को उचित होना माना है। वैसे भी दोनों | |

अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा आदेशों में निकाले गये निष्कर्ष समरूप हैं जिसके कारण विचाराधीन अपील में हस्तक्षेप की गुँजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधर पर अपील सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 276/2005–06 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–9–06 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

सदस्य